2013/00252 (76/2013) अपील संख्या 223 आरटीए

1. नरेन्द्र झौरड़ पुत्र श्री बलराम जाति जाट आयू 51 वर्ष निवासी खारा खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
2. प्रवीण कुमार पुत्र सुलतान राम आयु 45 वर्ष निवासी खारा खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
3. विजय कुमार पुत्र रणवीरसिह जाति जाट आयू 34 वर्ष निवासी खारा खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
4. राधाकृष्ण पुत्र भूपसिह जाति जाट आयू 38 वर्ष निवासी खारा खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमा

---अपीलांट्

बनाम

1. मुस्मात पार्वती देवी पत्नी स्वर्गीय साहबराम जाति ब्राम्हण निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
2. विजय लक्ष्मी पुत्री साहबराम पत्नी पुष्कर पुत्र कुरडाराम जाति ब्राम्हण निवासी नगराणा तहसील संगरिया जि0 हनुमानगढ
3. कुलदीपकुमार पुत्र साहबराम जाति ब्राम्हण खाराखेडा टिब्बी जिला हनुमानगढ
4. नरेन्द्र कुमार पुत्र साहबराम जाति ब्राम्हण खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
5. मु0 केसर देवी पत्नी देवीलाल जाति ब्राम्हण निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
6. वेद प्रकाश पुत्र देवीलाल जाति ब्राम्हण निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
7. पवन कुमार पुत्र देवीलाल जाति ब्राम्हण निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
8. श्रीमति सरोज पुत्री देवी लाल पत्नी भीमसिह पुत्र दौलतराम जाति ब्राम्हण निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
9. तहसीलदार राजस्व टिब्बी

--रेस्पोडेन्ट्

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्तकारी अधिनियम

विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.4.2012 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

प्रकरण संख्या 57/2007

राजस्व अपील प्राधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितः–

श्री छगनसिडाना, अभिभाषक अपीलांट

श्री लालचन्द वर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

श्री खुशकरणसिह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णयः–   दिनांकः–15.03.2019

1. प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 8 व रामप्यारी ने रेस्पोडेण्ट संख्या 9 के विरूद्ध वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर प्रश्नगत भूमि स्व0 झूथाराम मंदिर ठाकुर जी की सेवा करता था जिसका लगान माफ था। स्व0 झूथा राम की खुदकाश्त थी, गैर खातदारी भूमि थी इसलिए जमीदारी बिश्वेदारी अन्मूलन अधिनियम की धारा 5 के तहत उन्हें खातेदारी अधिकार दिये। परन्तु भू प्रबन्ध विभाग द्वारा मिसल बन्दोबस्त व पर्चा लगान करते समय प्रश्नगत भूमि रामप्यारी व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 8 मन्दिर श्री ठाकुर जी वाके खारा खेडा खातेदार काश्तकार पुजारियान शाहबराम देवीलाल पिसरान मालाराम मुस्मात रामप्यारी बेवा माला कौम ब्राम्हण साकिन खाराखेड़ा बहिस्सा बराबर काश्तकार दर्ज कर दिया। इसलिए प्रश्नगत भूमि वादी के नाम खातेदारी घोषित किये जाने एवं मन्दिर ठाकुर जी की प्रविष्टि रिकार्ड से डिलिट किये जाने का अनुतोष चाहा, जिसे स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय ने दावा डिक्री किया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने बतौर तृतीय पक्ष यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि अपीलार्थीगण के पूर्वजों की गैर दाखिलकारी कृषि भूमि थी। अपीलार्थी के पूर्वजों ने इस भूमि को मन्दिर श्री ठाकुर जी के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित करवाई। अपीलार्थीगण ग्राम खाराखेड़ा के रहने वाले हैं एवं मन्दिर ठाकुर जी में अपनी आस्था रखते हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 8 ने गलत रूप से अपने नाम अपीलाधीन निर्णय से खातेदारी करवा ली जिससे मन्दिर ठाकुर जी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। इसलिए वे बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत कर रहे हैं। अपीलाट का कथन है कि जिला कलक्टर श्री गंगानगर के पत्र क्रमांक 291 दिनाक 27.5.1972 के अनुसार प्रश्नगत भूमि मन्दिर श्री ठाकुर जी की खातेदारी के बाबत आदेश दिया है। जबकि इसका गलत अर्थ निकाल कर अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध परित किया है। वादीगण ने नामान्तरणकरण संख्या 223 /42 दिनांक 04.04.2003 को शून्य घोषित करने का अनुतोष चाहा है जबकि ऐसा अनुतोष विचारण न्यायालय नही दे सकता। जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा अपील रामप्यारी बनाम सरकार में दिनांक 05.02.07 को निर्णय पारित कर इन्तकाल नं. 223/42 को निरस्त कर मामला तहसीलदार टिब्बी को इस

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया था कि विवादित भूमि से सम्बन्धित समस्त अभिलेख का परीक्षण कर विधि सम्मत आदेश पारित करें। परन्तु इस आदेश का छुपाकर अपीलाधीन निर्णय गलत पारित करवाया है। काफी मन्दिर की भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते एवं किसी अन्य की काश्त मन्दिर शाश्वत नाबालिग होने के कारण मन्दिर की काश्त मानी जायेगी। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विवादक कायम किये गलत रूप से पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त कर अपील स्वीकार की जावे। अपने कथनों के समर्थन में 2009 डीएनजे पेज 287, आरआरडी 2000 पेज 72, 1995 आरआरडी पेज 668, 2010 डीएनजे पेज 1324, 2012 आरआरडी पेज 851, 2003 आरआरडी पेज 401, 2007 आरआरडी 56, 2006 आरआरडी पेज 802, 1993 आरआरडी पेज 266 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पर्चा खतौनी में प्रश्नगत भूमि माफी मन्दिर की दर्ज है। तथा रेस्पोडेण्ट के पूर्वज झूथाराम पुत्र भोलाराम के नाम दर्ज है, जो प्रदर्श 3 से सिद्ध है। इस भूमि का लगान पुन्यार्थ माफ था। पुन्यार्थ लगान माफी की भूमि जागीर की भूमि मानी जावेगी। जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 26.05.1972 से इस भूमि की खातेदारी दर्ज की गई, जिसका नामान्तरणकरण प्रदर्श 4 है परन्तु भू प्रबन्ध विभाग ने सक्षम न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रश्नगत भूम मन्दिर ठाकुर जी वाके खारा खेडा खातेदार बअहतमाम पुजारियान साहबराम वगैरह के नाम दर्ज कर दी, जबकि भू प्रबन्ध विभाग को प्रविष्टि बदलने की कोई अधिकारिता नहीं थी। भू प्रबन्ध द्वारा की गई प्रविष्टि को तहसीलदार के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती थी बल्कि इस पविष्टि को धारा 88 की आरटीएक्ट के अन्तर्गत वाद प्रस्तुंत कर ही चुनौती दी जा सकती थी। जागीर रिजम्पशन लागू होने के समय रेस्पोडेण्ट के पूर्वज इस भूमि पर खुदकाश्त काबिज थे। इसलिए विधिक परिवर्तन से खातेदार हुए। इस सम्बन्ध में पुजारियों को खातेदारी अधिकार दिये जाने बाबत राज्य सरकार के परिपत्र दिनाक 24.05.2007 को जारी किया गया है। अपीलाण्ट का अपील प्रस्तुत करने का ना तो कोई अधिकार है ना ही वे अपीलाधीन निर्णय से व्यथित हो सकते हैं। इस प्रकार अपील अपीलाण्ट पोषणीय नही होने के आधार पर निरस्त की जावे। अपने कथनों के समर्थन में 1990 आरआरडी पेज 17, 96 आरआरडी पेज 63, 2000 आरएलआर पेज 121, 2018 आरआरडी पेज 688, 1973 आरआरडी पेज 473, 1991 आरआरडी पेज 562, 1976 आरआरडी पेज 148, 1979 आरआरडी एनयूसी 8, एआईआर 1989 इलाहाबाद पेज 133, 2008 डीएनजे पेज 1546 प्रस्तुत किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलार्थीगण ग्राम खाराखेड़ा के निवासी हैं एवं मन्दिर ठाकुर जी में अपनी आस्था रखते हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 8 ने अपने नाम अपीलाधीन निर्णय से खातेदारी करवा ली जिससे मन्दिर ठाकुर जी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। इसलिए इस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. अपीलाण्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय का उनको ज्ञान नहीं होना स्वाभाविक है। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद स्वीकार कर चक 3 सीडीआर की 3.289 हैक्टेयर भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया है एवं मंदिर ठाकुर जी की प्रविष्टी को रिकार्ड से डिलीट किये जाने का आदेश दिया है। विचारण न्यायालय के समक्ष जमाबंदी संवत 2003 प्रस्तुंत हुई है जिसमें मन्दिर श्री ठाकुर जी का नाम दर्ज है एवं बवजह पुनर्थ लगान माफ है। प्रदर्श 3 पर्चा खतौनी में भी माफी मन्दिर ठाकुर जी झूथाराम वल्द भोलाराम कौम ब्राह्मण मंदिर पुजारी के नाम दर्ज है। प्रदर्श 4 में भी इसी रूप में दर्ज है। प्रदर्श 2 में भी मंदिर के नाम ही दर्ज है रेस्पोडेण्ट ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं हुआ जिसमें पूर्व में उनक पूर्वजों के स्वयं के नाम दर्ज रही हो। जो भी दस्तावेज पेश हुए हैं उनमें मंदिर का नाम पूर्व में दर्ज है और रेस्पोडेण्ट के पूर्वजों के नाम बतौर पुजारी ही दर्ज है। नामान्तरणकरण संख्या 20 में भी कॉलम नं. 5 में माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी दर्ज है तथा जिलाधीश के आदेश क्रमांक 291 दिनांक 27.05.1972 से झूथाराम वगैरह की खातेदारी दर्ज की गई है। उक्त दस्तावेजात में पुजारियान द्वारा मन्दिर की भूमि को काश्त किया जाना दर्शित होता है, जिसमें मात्र भूमि मन्दिर की होने के कारण लगान माफ किया गया है। इसी कारण भूप्रबन्ध विभाग द्वारा मन्दिर का नाम अंकित किया जाना प्रतीत होता है। देवता शाश्वत नाबालिग है। देवता के लिए निजी रूप से काश्त करना संभव नही है इसलिए देवता/मन्दिर की भूमि में पुजारी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2009 डीएनजे पेज 287, 2000 आरआरडी पेज 72, 2010 डीएनजे पेज 1324, 2012 आरआरडी 851, हमारा मार्गदर्शन का काम करते हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट के इस कथन से हम सहमत नहीं हैं कि रेस्पोडेण्ट अथवा उसके पूर्वज बतौर खुदकाश्त/खातेदार/पट्टेदार प्रश्नगत भूमि पर काबिज हों, बल्कि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से प्रश्नगत भूमि मन्दिर श्री ठाकुर जी की होना सिद्ध होती है। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त मौजूदा प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण चस्पा नही होते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
(राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का निर्णय दिनांक 10.04.2012 अपास्त किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

15/3/19

(मूल चन्द)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official